I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB ROHTAK **Year (वर्ष):** 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 10/02/2020 16:27 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	201
3	IPC 1860	218
4	IPC 1860	466
5	IPC 1860	477-A
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2013 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2014

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/02/2020 **Time (समय):** 15:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 10/02/2020 15:48 hrs

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो मण्डल रोहतक

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 55 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री बलबीर सिंह उ0पु0अ0

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SVB GURUGRAM, SVB GURGAON, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	SVB GURUGRAM, SVB GURGAON, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	भवर सिंह चौहान			1. तत्कालीन चीफ कमिस्ट सेवानिवृत,सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
2	बलबीर सिंह हुड्डा			1. उप चीफ कमिस्ट,सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
3	रणबीर सिंह			1. लैब इन्चार्ज सेवानिवृत,सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
4	होशीयार सिंह कुण्डू			1. चीनी सैल मैनेजर,सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
5	रामसिंह			1. साहयक गौदाम कीपर,सेवानिवृत सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
6	अशोक पूरी			1. चीनी तौल कलर्क,सेवानिवृत सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
7	सुरजभान			1. चीनी तौल कलर्क,सेवानिवृत सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
8	बलबीर सिंह			1. चीनी तौल कलर्क,सेवानिवृत सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA
9	रामफल मृतक			1. चीनी तौल कलर्क,सेवानिवृत सुगर मिल सोनीपतSONIPAT,HARYANA,INDIA

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, तहरीर निम्न प्रकार से है कि जांच क्रमांक 03 दिनाक 27.06.2016 सोनीपत अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 65/11/2016-5 चौ 1 दिनांक 17.6.2016 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के प्रष्ठांकन क्रमांक

8268/आई-1 राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा दिनांक 29.06.2016 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतू भेजी गई थी । जिसमें आरोप था कि चीनी मिल सोनीपत में वर्ष 2013-14 मे प्रबन्धक निदेश द्वारा चीनी के गोदामो में औचक निरीक्षण करवाया गया जिस में 478 बैग चीनी के रिकार्ड से अधिक पाये गये जिसकी जांच श्री नफे सिंह बाहरी टेकनिकल एक्सपर्ट द्वारा गई जिस में मीठा विभाग के रजिस्टरो से कुछ ज़रुरी कागजात भी गायब पाये गये। यह सब शुगर सैलस मैनेजर, चीफ कमिस्ट व लैब ईन्चार्ज की मिली भगत से पिछले कई वर्षो से चला आ रहा है व चीनी के बैग लिखित में कम व रिकार्ड में ज्यादा पाये जाते है। अतिरिक्त चीनी को लोगो को बाहर भेज दिया जाता था। शुगर सैल्स मैनेजर व अन्य द्वारा अपने रसूक का प्रयोग करते हुए अपने उपर कोई कार्यवाही नही होने दी तथा बाहरी एक्सपर्ट की जांच रिपोर्ट को अनदेखा करवाते हुए शुगर मिल के सी0 ओ0 व प्रबन्धक निदेशक इसे बचाना चाहते है इसलिए आज तक इन दोषियो को सस्पेंड तक भी नही किया गया जिस कारण शुगर सेल्स मनेजर तथा सी0ओ0 से मिल कर करोडो रूपये का नुकसान पहुचा रहे है। उपरोक्त आरोपो की पडताल बलबीर सिहँ उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम द्वारा की गई। पडताल के दौरान प्राप्त किए गए रिकार्ड अनुसार वर्ष 2012-13 की पिराई सत्र के दौरान मिल के कट्टे स्टोक रजिस्टर में दिनांक 29.11.2012 को 1300 कट्टे स्टाक में पिछला बकाया प्राप्त हुआ और सत्र के दौरान 4,83,500 खाली कट्टे नये खरीद कर स्टोक लिए गए 5400 खाली कट्टे सत्र के दौरान कटे फटे होने पर नकारा होने पाए गए और 15,000 खाली कट्टे दुसरे अन्य चीनी मिलो से लिए गए उधार को वापिस लोटाए जाने पाए गए। इस प्रकार उपरोक्त सत्र के दौरान कुल 4,21,836 खाली कट्टे चीनी भराई करने के लिए गोदाम से ड्रायर हाउस चीनी तोल क्लर्क को तकसीम किए जाने पाए गए। चीनी मिल सोनीपत का दैनिक प्रति घंटा चीनी उत्पादन प्रति रजिस्टर वर्ष 2013 अनुसार दिनांक 09.02.2013 को स्टोर से 3000 खाली कट्टे तक्सीम होने पाए गए, लेकिन उत्पादन रजिस्टर में 2500 खाली कट्टो को प्रतिवादी चीनी तौल क्लर्क द्वारा स्टोक में लेना दिखाया जाना पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 06.04.2013 को खाली चीनी कट्टे रजिस्टर से 4000 खाली कट्टे तक्सीम हुए पाए गए। लेकिन 3500 खाली कट्टो की इन्द्राज किया जाना पाया गया। दिनांक 17.05.2013 को 86 खाली कट्टे तक्सीम किए व स्टोक में लेने पाए गए इस प्रकार चीनी तौल क्लर्क द्वारा 1000 खाली कट्टो का इन्द्राज स्टोक रजिस्टर में नही करना पाया गया। दिनांक 02.05.2013 को प्रतिवादी द्वारा 800 खाली कट्टो का ईन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया हुआ जाना पाया गया। दिनांक 17.05.2013 को 86 ब्राऊन चीनी के कट्टे भर कर रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना पाया गया। इस प्रकार मेन स्टॉक रजिस्टर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट/ चीनी तोल/ ड्रायर हाउस को 4,21,836 खाली कट्टे तक्सीम हुए थे। जिस मे से 4,21,594 खाली कट्टो में चीनी भरनी पाई गई तथा बकाया 242 खाली चीनी के कट्टो को गोदाम कीपर को चीनी भरने के लिए तकसीम करने दिखाए जाने पाए गए। इस प्रकार ड्रायर हाउस के दैनिक चीनी उत्पादन रजिस्टर व मैन स्टॉक, स्टोर रजिस्टर अनुसार चीनी कट्टो का इन्द्राज सही होना पाया गया लेकिन दौनो रजिस्टरो के तकसीम इन्द्राज व स्टोक रजिस्टर में प्राप्त इन्द्राजो के मिलान करने पर 236 खाली कट्टो की कमी स्टोक रजिस्टर में पाई गई। पिराई सत्र 2012-13 की समाप्ति पर स्टॉक रजिस्टर अनुसार कुल 42,414 खाली कट्टे स्टॉक में बकाया थे उपरोक्त सत्र के दोरान सहकारी चीनी मील लि0 सोनीपत द्वारा 2,11,036 किवंटल चीनी मिल से बाहर स्पलाई की जानी पाई गई। उपरोक्त सत्र के दौरान चीनी मील सोनीपत द्वारा रिकार्ड अनुसार 2,10,797 किवंटल व 239 किवंटल (478 चीनी कट्टे) कुल 2,11,036 किवंटल चीनी का उत्पादन किया जाना पाया गया । जॉच के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो कार्यालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, उपभोक्ता खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की विशेष टीम की परामर्श सेवाए प्राप्त करने के लिये उचित फीस जमाकरवाकर दिनॉक 12.04.2018 अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। डा0 आशुतोष वाजपेई चीनी विशेषज्ञ द्वारा सहकारी चीनी मिल लि0 सोनीपत का निरीक्षण किया गया। चीनी विशेषज्ञ द्वारा दैनिक मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, आर0टी0-7 (सी0) दैनिक चीनी उत्पादन रिपोर्ट, आर0जी0-6 (सी0) रजिस्टर व आर0टी0-8 (सी0) रिपोर्ट का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि 239 किवंटल सफेद चीनी आर0टी0-8 (सी0) रिपोर्ट अनुसार चीनी उत्पादन में अतिरिक्त तौर पर शामिल की है। उपरोक्त अतिरिक्त 239 किवंटल सफेद चीनी के उत्पादन को गन्ना औसत पिराई परता 0.01 प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक दिखाई गई है। बढी हुई चीनी की मात्रा को तकनीकी कारणो की बजाय प्रशासनिक कारण- रिकार्ड सही मेन्टेन नही करना बतलाया है। 239 किवंटल सफेद चीनी व कट्टो का मिलान चीनी उत्पादक रजिस्टर के पेज न. 85-86 को फाड कर व इसको खुर्द बुर्द करके व बाकी रिकार्ड में कटिंग व ओवर राईटिंग बारे मौका के कर्मचारी/अधिकारी भी सन्तोष जनक वर्णन नही कर सके। इस प्रकार सहकारी चीनी मिल सोनीपत की मैन्युफेक्चरिंग युनीट में तैनात कर्मचारीयो/अधिकारीयो में प्रतिवादी भंवर सिंह चौहान तत्कालीन चीफ कमिस्ट (सेवानिवृत)बलबीर सिंह हुड्डा उप चीफ केमिस्ट रणबीर सिंह लैब इन्चार्ज (सेवानिवृत) होशियार सिंह कुण्डू चीनी सैल मैनेजर, राम सिंह सहायक गौदाम कीपर (सेवानिवृत) अशोक पुरी चीनी तौल क्लर्क (सेवानिवृत), सुरजभान चीनी तौल क्लर्क (सेवानिवृत), बलबीर सिंह चीनी तौल क्लर्क (सेवानिवृत) व रामफल (मृतक) चीनी तौल क्लर्क द्वारा मैन्युफैक्चरिंग लॉग बुक, दैनिक चीनी उत्पादन रजिस्स्टर, स्टॉक रजिस्टर, दैनिक उत्पादन रिपोट,र् खाली कट्टो का तकसीम अनुसार सही इन्द्राज ना करके कटे फटे बोरो का सही हिसाब ना करके, रजिस्टरो में अनावश्यक ओवर राईटिंग करके, गलत इन्द्राज करके रजिस्टरो में अधिकारी/ईन्चार्जो द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट का इन्द्राज न करके व शुगर मिल से बरामद 239 किवन्टल चीनी को उपरोक्त सरकारी कर्मचारी/अधिकारीयो ने भ्रष्टाचार की नीयत से निजी लाभ हेतू चीनी के उत्पादन मे हेरीफेरी करके चीनी उत्पादन रजिस्टर में ओवर राईटिंग करके गलत इन्दराज करना, बैगिंग रजिस्टर में चीनी उत्पादन का सही एंव इन्द्राज ना करके कटे, फटे कट्टो का इन्द्राज ना करके तथा चीनी उत्पादन रजिस्टर का पेज न. 85 व 86 फाड कर खुर्द बुर्द करके धारा 13(1) सी.डी. भ्रष्टाचार अधिनियम व 218/466/477ए/201/120बी भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित किए जाने की सिफारिश सहित रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 13964/रा0चौ0ब्यूरो0(ह0) दिनांक 29.08.2019 के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग ने यादि क्रमांक 65/11/2016-5 चौ0 -1 दिनॉक 6-1-2020 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के प्रष्ठांकन क्रमांक 735 /आई-5/राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा दिनांक 10.1.2020 अनुसार भवर सिंह चौहान तत्कालीन चीफ कमिस्ट (सेवानिवृत), बलबीर सिंह हुड्डा उप चीफ केमिस्ट, रणबीर सिंह लैब इन्चार्ज (सेवानिवृत), होशियार सिंह कुण्डू चीनी सैल मैनेजर, राम सिंह, सहायक गौदाम कीपर (सेवानिवृत), अशोक पुरी चीनी तौल क्लर्क (सेवानिवृत), सुरजभान चीनी तौल क्लर्क (सेवानिवृत), बलबीर सिंह चीनी तौल क्लर्क (सेवानिवृत) व रामफल (अब मृतक) चीनी तौल कलर्क (सेवानिवृत) सहकारी चीनी मील सोनापत के खिलाफ धारा 13(1) सी.डी. भ्रष्टाचार अधिनियम व 218/466/477ए/201/120बी भा0द0स0 के तहत मुकदमा दर्ज करने तफतीश के दौरान यदि किसी की मिलीभगत पाई जाती है उसे भी तफतीश के दौरान देख लेन बारे आदेश प्राप्त हो चुके है। मुकदमा हजा दर्ज रजि0 करके आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाएगा। जो आदेश प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपीयों के विरूध मुकदमा दर्ज रजि0 किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया टेलीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये। SD- कैलाशचन्द निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत। अज थाना- उपरोक्त लिखित तहरीर थाना हजा में प्राप्त होने पर मुकदमा न0 2 दिनांक 10.02.2020 जेर धारा 13(1) सी.डी. भ्रष्टाचार अधिनियम व 218/466/477ए/201/120बी भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर

किया गया है। कम्पयूटर प्रतिया प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया डाक/ई-मेल राज्य चौकसी ब्यूरो के सम्बन्धित अफशरान बाला को भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हस्ब आदेश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक आगामी अनुसंधान हेतू Complaint file page No. 1-61, Statement file page No. 1-506, Police file page No. 1-179 Document file No 1 page. No.1-422 Document file No 2 page. No.1-225 Document file No 3 page. No.1-366 Document file No 4 page. No.1-713 Document file No 5 page. No.1-236 Document file No 6 page. No.1-218 निरीक्षक राकेश कुमार रा0चौ0ब्यूरो रोहतक को दी गई है। उपरोक्त मुकदमा थाना प्रबन्धक के कोड से निरीक्षक मन्जीत सिंह H/62 की हाजीरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** rakesh kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): psi **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Manjeet Singh

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Name (नाम): MANJEET
Rank (पद): Inspector
No. (सं.): H/62.

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**